

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ10-सा10नि0) अनुभाग-7
संख्या- 78 /XXVII (7)/2009
देहरादून दिनांक 1 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उत्तराखण्ड (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-396/दस-99-800/99 दिनांक 11 जून, 1999 तथा इसके बाद समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्थाओं को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी
यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवक अब नये वेतनमान में वायुयान रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे।

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	अधिकृत श्रेणी
ग्रेड वेतन ₹012000 तथा HAG+ व उच्च	वायुयान का बिजनेस क्लास अथवा रेल का ए सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एकजीक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन ₹010000 तथा शासन के अपर सचिव जो ग्रेड वेतन ₹0 8900 में कार्यरत हों	वायुयान का इकोनोमी क्लास अथवा रेल का ए सी प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एकजीक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन ₹0 5400,6600,7600,8700 व 8900 (शासन के अपर सचिव को छोड़कर)	रेल का ए.सी. टू टियर/प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का चेयर कार
ग्रेड वेतन ₹0 4200,4600 व 4800	रेल का ए.सी. थ्री टियर/प्रथम श्रेणी/ए.सी. चेयर कार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)
ग्रेड वेतन ₹0 4200 से कम	रेल का स्लीपर क्लास

जो स्थान रेल से जुड़े न हों:-ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए.सी.बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य को डीलक्स/साधारण बस यात्रा हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

-2-

जो स्थान रेल से जुड़े हों- रेल के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य माध्यमों से भी यात्रा की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किराया अनुमन्य रेल किराये से अधिक न हो।

यात्रा भत्ता देयक के साथ मूल टिकट/उसकी प्रति/टिकट सरभ्या राखना किया जाना आवश्यक होगा।

(2) आनुषांगिक व्यय-

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषांगिक व्यय निम्न प्रकार से अनुमन्य होगा-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	आनुषांगिक व्यय की दरें प्रति किलोमीटर
ग्रेड वेतन रु0 8900,10000,12000 तथा HAG+ व उच्च	50 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200, 4600,4800,5400,6600, 7600 व 8700	35 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	20पैसे

वायुयान से की जाने वाली यात्राओं हेतु आनुषांगिक व्यय रूपया 50.00 प्रति यात्रा की दर से दिया जा सकता है।

(3) दैनिक भत्ता-

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23 (जी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगी-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
ग्रेड वेतन रु08900, 10000,12000 तथा HAG + व उच्च	रु0 350	रु0 250	रु0 200
ग्रेड वेतन रु0 4800, 5400,6600,7600 व 8700	रु0 250	रु0 190	रु0 160
ग्रेड वेतन रु0 4800 से कम	रु0 150	रु0 100	रु0 80

उपरोक्त तालिका के द्वितीय कालम में उल्लिखित दरों में रु0 5400 अथवा अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को होटल/अन्य सरस्थान में रहने व स्थानीय यात्रा

-3-

हेतु निम्न दरों से प्रतिपूर्ति की जा सकती है:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	प्रतिपूर्ति दर
ग्रेड वेतन ₹0 8900,10000,12000 तथा HAG+व उच्च	₹0 1000
ग्रेड वेतन ₹0 5400,6600,7800 व 8700	₹0 750

यात्रा भत्ता देयक के साथ उक्त व्यय का मूल वाजिब संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु निम्नानुसार घनराशि की प्रतिपूर्ति कही जा सकती है:-

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	होटल/गैस्ट हाउस में अवस्थान करने पर दैनिक भत्ता	स्वयं की व्यवस्था पर दैनिक भत्ता
ग्रेड वेतन ₹0 12,000 तथा HAG+व उच्च	होटल/गैस्ट हाउस के लिये ₹05000/- प्रति दिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर 50 कि.मी. तक की यात्रा हेतु ए.सी.टैक्सी के चार्ज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0500/- प्रति दिन भोजन का बिल	₹0 700/- प्रतिदिन, नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु ए.सी.टैक्सी के चार्ज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन ₹0 10000 व 8900	होटल/गैस्ट हाउस के लिये ₹0 3000/- प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर 50 किमी0 तक की यात्रा हेतु नॉन ए.सी.टैक्सी के चार्ज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0 300/- प्रतिदिन भोजन का बिल	₹0 600/- प्रतिदिन,नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु नॉन ए.सी.टैक्सी के चार्ज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन ₹0 5400, 6600, 7600, 8700	होटल/गैस्ट हाउस के लिये ₹0 1500 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0 200 प्रतिदिन भोजन का बिल	₹0 450 प्रतिदिन,नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन ₹0 4800 से ₹04200	होटल/गैस्ट हाउस के लिये ₹0 500 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0 150 प्रतिदिन भोजन का बिल	₹0 350 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन ₹0 4200 से कम	होटल/गैस्ट हाउस के लिये ₹0 300 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0 100 प्रतिदिन भोजन का बिल	₹0 200 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति

-4-

निशुल्क आवास अथवा निशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते की दर सामान्य दर के 25 प्रतिशत के बराबर रखी जाएगी।

(4) सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता:-

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23 (बी)(2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमत्त है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता उपरिउल्लिखित कार्यालय आप दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा निर्धारित पूर्व दरों का डेढ़ गुना अनुमत्त होगा:-

(5) स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें:-

(क) घरेलू सामान की ढुलाई:-

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 42 (2)(1)(111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमत्त है। सरकारी सेवकों को उनके नये पुनरीक्षित वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जाएगी:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु 7800,8700,8900,10000, 12000 तथा HAG+व उच्च	6000 किलोग्राम/चार पहिए का एक वेगन/एक डबल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु 4200,4600,4800,5400, 6600	6000 किलोग्राम/चार पहिए का एक वेगन/एक सिंगल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु 2800	3000 किलोग्राम
ग्रेड वेतन रु 2800 से कम	1500 किलोग्राम

स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक सामान्यतः अपने घरेलू सामान की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं। प्रदेश के एक बड़े भू-भाग में रेल जंक्शन उपलब्ध भी नहीं है। इन तथ्यों को धृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की ढुलाई हेतु 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम की दर से अनुमत्त होगा।

(ख) स्थानान्तरण पर वाहन की ढुलाई:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत वाहन की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु 6600,7600,8700,8900, 10000,12000 तथा HAG+व उच्च	एक मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर
ग्रेड वेतन रु 6600 से कम	एक मोटर साइकिल/स्कूटर/संपैज/साइकिल

-5-

(ग) एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान:-

वर्तमान में अनुमन्य दरों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:-

- (अ) जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण की वशा में वैकिंग भूतल की दर ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत।
- (ब) एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण की वशा में एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दर ग्रेड वेतन के दो गुना के बराबर रखी जाती है। HAG+य उच्च वेतनमान के अधिकारियों हेतु इसकी दर रूपया रु० 24000.00 रखी जाती है।
- (6) धह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होंगे जो कि उक्त तिथि को या इसके पश्चात् प्राप्त हुई हो परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा, उन्हें पुनःदृष्टि नहीं किया जाएगा।
- (7) विस्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जाएंगे।

Alok Jain
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

रामस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

संख्या- 780/XXVII (7)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, औद्योगिक भवन, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 3- सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
- 4- रजिस्टार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 7- बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा(से)
[Signature]
(टी०एन०सि०)
अपर सचिव।